<u>न्यायालयः- सिविल जज (जू.डि.), मऊ, चित्रकूट</u>।

मूलवाद संख्या- 83 / 2017

श्रीमती जुबैदा बानो बनाम श्रीमती सीता देवी आदि

<u>27.11.2018</u>-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थनापत्र 6ग2 पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

वादिनी द्वारा प्रार्थनापत्र 6ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर याचना की गई है कि जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रोक दिया जावें कि वादिया मकान व बरामदा व सेहन भूमि प्रदर्शित नक्शा नजरी क,ख,ग,घ पर किसी प्रकार का हस्ताक्षेप रकबा 0.054 हे0 के रकबा 0.009 हे0 में वादिया के उपयोग व उपभोग में हस्ताक्षेप न करें और न हीं वादिया के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में हस्ताक्षेप करें।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से आपत्ति कागज संख्या 21ग2 दाखिल करके अभिकथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रश्नगत स्थल का रजिस्टर बैनामा दिनांक-31.08.2016 को लेकर प्रश्नगत् स्थल पर स्थित कमरा, बरामदा व सेहन पर काबिज हैं। प्रश्नगत स्थल पर कमरा व बरामदा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में रजिस्टर्ड बैनामा करने वाले प्रतिवादी संख्या 3 सुरेश कुमार ने बनवाया है। प्रार्थना पत्र 6ग2 निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के तहत अनुतोष याची को तभी प्रदान किया जा सकता है जब वह निम्न शर्तों को साबित करे-

1. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादिनी के पक्ष में हैं?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादिनी के पक्ष में है?
3. क्या निषेधाज्ञा का आदेश पारित न किया गया तो वादिनी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी?

जहाँ तक प्रथम दृष्टया मामलें का प्रश्न है वादिनी पक्ष का अभिकथन है कि उसके द्वारा प्रश्नगत भूमि संख्या 4ग मि0 रकबा 0.054 हे0 में से दर्ज खातेदार रमाकान्त पुत्र श्री राम प्रसाद से उसके सम्पूर्ण अंश रकबा 0.009 हे0 का अनुबन्ध विक्रय दिनांक-18.07.2016 को किया गया था तथा बाद में पंजीकृत बैनामा दिनांक-16.09.2016 को लिया गया है जिस पर वादिनी काबिज व दाखिल है। विक्रीत भूमि पर एक कमरा तथा एक बरामदा निर्मित है तथा शेष भूमि खाली पड़ी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भी विक्रेता सुरेश कुमार पुत्र रामप्रसाद से आराजी संख्या 4क रकबा 0.054 हे0 में से विक्रेता के हिस्से की भूमि 0.009 हे0 का बैनामा कराया गया हैं किन्तु मात्र खाली भूमि का बैनामा कराया हैं। वादिनी के बैनामा वाली भूमि पर वादी द्वारा बनाया गया कमरा व बरामदा मौजूद था जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई वास्ता एवं सरोकार नहीं हैं। वादिनी द्वारा अपने समर्थन में नकल खतौनी 11ग1, नकल खसरा 12ग1, भू-चित्र की प्रमाणित छायाप्रति 13ग1, आधार कार्ड की छायाप्रति 14ग1, अनुबन्ध पत्र दिनांकित 18.07.2016 की छायाप्रति दाखिल किया गया हैं। प्रतिवादी पक्ष के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित स्थल का रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक-31.08.2016 को लेकर प्रश्नगत् स्थल पर मालिक काबिज है।

वादी द्वारा दाखिल नकल खतौनी 11ग1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या 4ग मि0 रकबा 0.0540 हे0 के कुल 7 खातेदार थे। दिनांक-02.12.2016 के आदेश के अनुसार सहखातेदार सुरेश कुमार द्वारा अपना सम्पूर्ण अंश 0.009 हे0 प्रतिवादी संख्या 1 सीता देवी तथा प्रतिवादी संख्या 2 वेदप्रकाश को विक्रय किया गया। इस आदेश के नीचे अंकित दूसरे आदेश के अनुसार सहखातेदार रमाकांत द्वारा इस आराजी में अपना सम्पूर्ण अंश 0.009 हे0 वादिनी जुबैदा बानो को विक्रय किया गया। सहखातेदारों द्वारा अपने-अपने अंशों का विक्रय किये जाने के पूर्व सहखातेदारों के बीच कोई बंटवारा हुआ हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। प्रश्नगत् आराजी मिलजुमला नम्बर है जिस पर बिना बंटवारें के किसी अंशधारक का आराजी के किसी विशिष्ट भाग पर स्वामित्व व कब्जा न होकर प्रत्येक अंश पर प्रत्येक अंशधारी का कब्जा होता है। वादिनी के लिये उचित उपचार सक्षम न्यायालय के समक्ष बंटवारें का वाद है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 41एच के अनुसार जहाँ वादी / विपक्षी को समान वैकल्पिक प्रभावकारी अनुतोष किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त हो सकता है वहां वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। उसी क्रम में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 में किये गये उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संशोधन 'क' में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहां वादी को स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं होगी वहां अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त नहीं होगी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं हैं।

जहां तक सुविधा के संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है, चूंकि इस मामलें में वादिनी को इस न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष उपर्युक्त कारण के आधार पर नहीं प्राप्त हो सकता हैं। अतएव सुविधा का संतुलन वादिनी के पक्ष में नहीं है और न हीं उसे कोई अपूर्णनीय क्षति सम्भावित हैं।

उपर्युक्त कारणों के आधार पर वादिनी का प्रार्थना पत्र 6ग2 खारिज किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 6ग2 खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु विरचन दिनांक-05.12.2018 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.),
मऊ, चित्रकूट।